

2023/739

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./2018/06

दिनांक:- 9/6/2018

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

प्रशासन गावों के संग अभियान-2023

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री प्रभुलाल वर्गारह पिता अमरचन्द नि.
पंचतौली प.ह. सहनवा के राजस्व ग्राम पंचतौली में जमाबन्दी संवत् 2073-207
की खाता संख्या 40 में जाति/नम्म दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नम्म अटिया किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नम्म अटिया का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की रिथिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

31/6/23
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2018/

दिनांक:- / /2018

निमित्त,

पटवार हल्का सहनवा

विषय:-सम्मानजनक जाति/नम्म दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री प्रभुलाल वर्गारह पिता अमरचन्द
राजस्व ग्राम पंचतौली प.ह. सहनवा की खाता संख्या 40 में
जाति/नम्म अमार दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नम्म
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री प्रभुलाल वर्गारह पिता अमरचन्द की
जाति/नम्म अटिया एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. सहनवा राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ